न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–10/2016
CIS NO.-610/2018

आजाद अंसारी.....वादी

बनाम

अब्दुल हकीम अंसारी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.09.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.08.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 हरी साह की मृत्यु दिनांक 15.08.2021 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–02 हरी साह के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नि मु0 अनिता एवं दो पुत्र धीरज कुमार एवं नीरज कुमार तथा एक पुत्री बाला देवी को छोड़कर मरे है तथा वादी की ओर से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन भी विलंब माफी के लिए दिया गया है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–02 हरी साह का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 हरी साह की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादी का आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है तथा विलंब माफी हेतु वादी द्वारा अलग से आवेदन दिया गया है। अतः न्याय हित में वादी का आवेदन मो0–200/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद करें तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 07.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	